मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

क्रमांक एफ–58–01/2009/तीन/1269 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रति,

श्रमायुक्त
इन्दौर,
मध्य प्रदेश ।

विषय :–नगरीय निकायों के आम निर्वाचन – 2009 हेतु–दुकानों प्रतिष्ठानों/संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु समुचित सुविधा प्रदान करने बावत् ।

–0–

प्रदेश की नगरीय निकायों **अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (परिशिष्ट–एक)** में अंकित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन–2009 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम आयोग द्वारा दिनांक 10/11/2009 को जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दो चरणों में अर्थात् दिनांक 11/12/2009 एवं दिनांक 14/12/2009 को मतदान होगा। अतः आयोग द्वारा जारी स्थायी निर्देशों के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः–

1. नगरपालिका क्षेत्रों में उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों का सामान्यतः बाहुल्य हुआ करता है । ऐसे प्रतिष्ठानों/संस्थानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि नगरीय निकायों **अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (परिशिष्ट–एक) में अंकित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन–2009 होना है, परिशिष्ट–एक में अंकित नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले कर्मचारियों के लिए या तो कारखानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में मतदान के दिन अवकाश घोषित किया जाए और उस दिन के बदले भविष्य में पड़ने वाले अवकाश को कार्य दिवस घोषित किया जाए अथवा मतदाताओं को दो–दो घण्टे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए ।**

2/– अतएव अनुरोध है कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें । कृपया जारी किये गये निर्देश की प्रति आयोग को भी भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(अनुपम राजन)
सचिव,
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्रमांक–0755–2555527

पृ.क्रमांक एफ–58–01/2009/तीन/1270 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

सचिव,
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

Lever Commi